

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग-1
सं०-सं०वि०क०नि०-1-1728/11-2015-138/2013
लखनऊ: दिनांक: 21 नवम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

समता समिति 30प्र० (1989) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार वाणिज्य कर विभाग के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों को समयमान वेतनमान स्वीकृत करने विषयक वित्त (विक्रीकर) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-बि०क०-4-394/11-93, दिनांक 09-02-1993 एवं उसके साथ वित्त विभाग के सपठित शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-560/दस-45(एम)/99, दिनांक 02-12-2000, संख्या-वे०आ०-2-1233/दस-2002-45(एम)/99टी०सी०, दिनांक 13-08-2002, संख्या-वे०आ०-2-470/दस-2002-45(एम)/99टी०सी०, दिनांक 12-05-2005 एवं शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-773/दस-62(एम)/08, दिनांक 05-11-2014 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप समयमान वेतनमान के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से द्वितीय वित्तीय स्तरोंन्वयन के रूप में वेतन बैंड-3 रु० 15600-39100, ग्रेड पे-7600/- का वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम/पदनाम	समयमान वेतनमान की देय तिथि
1	श्री वीर सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर	1-12-2008
2	श्री दीप चन्द्र चतुर्वेदी, से०नि० डिप्टी कमिश्नर	1-12-2008

हरेन्द्र वीर सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-सं०वि०क०नि०-1-1728 (1)/11-2015, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कमिश्नर, वाणिज्य कर, 30प्र० लखनऊ।
- 2- महालेखाकार (लेखा) द्वितीय, 30प्र० इलाहाबाद।
- 3- संबंधित कोषाधिकारी, द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, 30प्र०, लखनऊ।
- 4- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
- 5- कर एवं निबंधन अनुभाग-4
- 6- संबंधित अधिकारी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, 30प्र० लखनऊ।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस०पी० शुभ्र)
संयुक्त सचिव।

577
24-11-15

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक 27 नवम्बर, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त सचिव,उत्तर प्रदेश शासन,कर एवं निबन्धन अनुभाग-1,सचिवालय,लखनऊ ।
- 2- जोनल एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,मुरादाबाद/मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त आदेश से अपने जोन में कार्यरत /जोन से सेवा निवृत्त हुए सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 3- कोषाधिकारी,बिजनौर/मेरठ ।
- 4- आहरण वितरण अधिकारी,वाणिज्य कर,बिजनौर/ मेरठ ।
- 6- सम्बन्धित अधिकारियों को नाम से उपरोक्तानुसार जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर के माध्यम से
- 7- असिस्टेन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय बेवसाइट हेतु ।
- 9- सम्बन्धित अधिकारियों की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु ।

(सुनील कुमार राय)

ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।